न्यायालय:- जिला न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: संजीव मागो, RJS (DJ Cadre)

मूल दीवानी वाद संख्या 48/2022

1. कमलेश पत्नी अज्जू उर्फ अर्जुन

2. वीरेन्द्र पुत्र अज्जू उर्फ अर्जुन

3. किरनदेवी पत्नी स्व. सूखा

समस्त निवासीगण ग्राम वियासतीपुरा मौजा करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

........वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. जयपुर विद्‌युत वितरण निगम लिमिटेड, तामील जरिये प्रबंधक निदेशक विद्‌युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम जयपुर जिला जयपुर(राज.)

2. जयपुर विद्‌युत वितरण निगम लिमिटेड, तामील जरिये सहायक अभियंता (ग्रामीण) जयपुर विद्‌युत वितरण निगम लिमिटेड जिला धौलपुर (राज.)

.......प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 1-ए घातक दुर्घटना अधिनियम

उपस्थित:-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, वादीगण/आवेदकगण की ओर से।
02. प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से नरेन्द्र सक्सैना, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक: 12/03/2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र/वाद पत्र अन्तर्गत धारा 3 फैटल एक्सीडेन्ट अधिनियम के तहत दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत करते हुए अभिवचन किया है कि मृतक अज्जू उर्फ अर्जुन दिनांक 24.04.2022 को सुबह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मसूदपुर ग्राम पंचायत नकटपुरा धौलपुर के के सामुदायिक शौचालय पर राजमिस्त्री का कार्य कर रहा था, उक्त निर्माण कार्य सरकारी कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत नकटपुरा पंचायत समिति धौलपुर का था। तभी ऊपर से गुजर रही विद्‌युत विभाग की केवल का तार जोड पर से अचानक टूट कर अज्जू उर्फ अर्जुन के सिर के ऊपर गिर गया, जिससे अज्जू उर्फ अर्जुन करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया । घटना

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

के तुरंत बाद घायल अवस्था में अज्जू उर्फ अर्जुन को साथ में कार्य कर रहा उसका छोटा भाई संजय और दिलीप उसको इलाज के लिए सरकारी हॉस्पीटल धौलपुर लाए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने तुरंत रेफर कर दिया, उसके बाद अज्जू उर्फ अर्जुन को सरकारी हॉस्पीटल ग्वालियर में भर्ती कराया । दौरान इलाज उसी दिन ग्वालियर में मृत्यु हो गयी। सरकारी हॉस्पीटल ग्वालियर में मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। उक्त दुर्घटना बाबत दिनांक 25.04.2022 को थाना कम्पू पर मर्ग नंबर 235/22 व दिनांक 26.04.2022 को थाना सदर धौलपुर में मर्ग संख्या 05/2022 मृतक के भाई संजय ने दर्ज कराई थी। उक्त दुर्घटना विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण घटित हुई है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य व जिम्मेदारी का सही से निर्वाह नहीं करने के कारण उक्त दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने के कारण क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की बनती है। उक्त घटना में मृतक अज्जू उर्फ अर्जुन की मृत्यु से उत्पन्न क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदिका संख्या 1, 2, 3 ने व्यक्तिगत मौखिक रुप से विपक्षी संख्या 2 से कई बार निवेदन किया, परंतु अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को क्षतिपूर्ति अदा नहीं की है। आवेदकगण का स्वयं का कोई आय का जरिया नहीं है। आवेदकगण द्वारा मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 52,00,000/- रूपये अप्रार्थीगण से संयुक्तः व पृथक-पृथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र/वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया गया व कथन किया है कि विभाग की केबिल का कोई तार टूटकर दिनांक 24.04.2022 अथवा अन्य किसी दिवस नहीं गिरा, दिनांक 24.04.2022 को अर्जुन ग्राम मसूदपुर में भवन की छत पर निर्माण कार्य करते समय अज्जू कढेरा छत की ऊंचाई पर खडा होकर तम्बाकू खाने के उपरांत हाथ साफ करने हेतु हाथों को ऊपर किया, जिससे वह हाथ 11 केवी तार के संपर्क में आ गया और करंट लगा, घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना उत्तरदातागण की किसी लापरवाही के कारण नहीं घटी और ना ही विभाग के लाइन का कोई तार टूटकर गिरा, बल्कि अज्जू की स्वयं की लापरवाही होने के कारण उसने अपने हाथ ऊपर किए लाइन 11 केवी से छू गया, जिससे घटना घटी। उत्तरदातागण द्वारा मौके की जांच कराई गई और कनिष्ठ अभियन्ता अमित कुमार द्वारा जांच करने के उपरांत पाया कि उक्त घटना अज्जू की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई। अज्जू द्वारा उक्त लाइन के नीचे कार्य निर्माण करने की कोई सूचना अथवा अनुमति निगम

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

से नहीं ली गई। बिना अनुमति कार्य करते समय अज्जू लापरवाहीपूर्वक हाथ ऊंचे किए जाने के परिणामस्वरुप उक्त दुर्घटना घटी। विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं रही है, अतः वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किये गये:-

आया दिनांक 24.04.2022को अज्जू उर्फ अर्जुन की मृत्युवाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण विभाग द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण हो जाने पर, वादपत्र में अंकित आधारों पर प्रतिवादीगण से 52,00,000/- रपुये मय ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है?

आया मृतक अज्जू उर्फ अर्जुन की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण भवन निर्माण कार्य के दौरान उसके हाथ ऊपर करने पर 11 केवी का तार छू जाने के परिणामस्वरूप हुई है, जिसमें कोई लापरवाही निगम की नहीं है और वाद प्रतिवादीगण के विरुद्घ खारिज किए जाने योग्य है?

अनुतोष ?

4. प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रार्थीया ए.डब्ल्यू. 1 कमलेश, ए.डब्ल्यू. 2 संजय, ए.डब्ल्यू. 3 दिलीप का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिपरीक्षण कराया गया है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन ए.डब्ल्यू. 1 अनुराम मित्तल, एन ए.डब्ल्यू. 2 अमित, एन ए डब्ल्यू 3 पुनीत शर्मा के शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिपरीक्षण कराया गया है तथा प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत किया ।

प्रदर्श 1	**सूचना कवरिंग पत्र**
प्रदर्श 2	**सूचना प्रार्थना पत्र**
प्रदर्श 3	**मर्ग सूचना कवरिंग पत्र**
प्रदर्श 4	**मर्ग नतीजा**
प्रदर्श 5	**तहरीर**
प्रदर्श6	**मर्ग रिपोर्ट**
प्रदर्श 7	**नक्शा**
प्रदर्श 8	**मर्ग थाना कम्पू**
प्रदर्श 9	**तहरीर थाना कम्पू**
प्रदर्श 10	**पंचायतनामा**
प्रदर्श 11	**लाश जप्ती**

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

प्रदर्श 12	**लाश जप्ती रसीद**
प्रदर्श 13	**मर्ग डायरी थाना कम्पू**
प्रदर्श 14	**शव परीक्षा आवेदन पत्र**
प्रदर्श 15	**पोस्ट मार्टम रिपोर्ट**

5. प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत किये:-

प्रदर्श- एन ए 1	**मिनट्स ऑफ मीटिंग**
प्रदर्श- एन ए 2	**जांच रिपोर्ट**
प्रदर्श- एन ए 3	**रामनरेश के बयान**
प्रदर्श- एन ए 4	**दिलीप के बयान**
प्रदर्श- एन ए 5	**कमलेश के बयान**
प्रदर्श- एन ए 6	**संजय के बयान**
प्रदर्श- एन ए 7	**पुनीत शर्मा के बयान**
प्रदर्श- एन ए 8	**अमित कुमार के बयान**
प्रदर्श- एन ए 9	**मौका नक्शा**
प्रदर्श- एन ए 10	**जेईएन की रिपोर्ट**

6. बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

7. अधिवक्ता वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए बहस के दौरान तर्क दिया गया कि मृतक की मृत्यु विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई है विद्युत विभाग की केबल का तार जोड पर से अचानक टूटकर अज्जू उर्फ अर्जुन के सिर के ऊपर गिर गया, अर्जुन करंट की चपेट में आ गया, जिस कारण वह घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सरकारी हॉस्पीटल धौलपुर में दिखाया व जहां से गम्भीर हालत होने के कारण उसे ग्वालियर रैफर कर दिया ग्वालियर में सरकारी हॉस्पीटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। जिस घटना के संबंध में पुलिस में मर्ग दर्ज कराने पर पुलिस ने भी विद्युत आघात के कारण उसकी मृत्यु होना पाया है वादी पक्ष ने गवहान की साक्ष्य से अपने मामले को साबित किया है वादीगण् मृतक पर आश्रित थे व मृतक ही उनका जीवन निर्वाह करता था, जिस कारण उनके जीवन निर्वाह में परेशानी हो रही है, प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है, व विद्युत विभाग की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मनगढन्त व निराधार हैं जो बचाव में विभाग के हित हेतु झूंठे तैयार किये हैं, विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व थाना सदर, धौलपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंतर है वादी द्वारा विवाद्यक सं.1 को अपने पक्ष में साबित किया गया है

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

अतः वादी पक्ष प्रतिवादीगण से 52 लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः-

2019 ACJ Page 1552, (Madras) Superintending Engineer, Tamilnadu Elec. Board VS. T. Ranganathan and others

2022(2) R.A.R. Page 737 (Raj.) Ajmer vidyut Vitran Nigam Vs. Smt. Sumitra Devi & Ors.

8. अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त् दुर्घटना मृतक स्वयं की लापरवाही से हुई है, मृतक जिस इमारत में राजमिस्त्री का काम कर रहा था, उक्त इमारत पर काम करने से पूर्व बिजली विभाग से लाइन बंद करने की कोई परमिशन नहीं ली थी, व बिना परमिशन काम किया जा रहा था, विद्युत तार टूटकर नहीं गिरा है, बल्कि मृतक काम करते समय स्वयं की लापरवाही से विद्युत तार की चपेट में आया है जिसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है अतः विभाग कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं है।

<u>विवाद्यक संख्या 1 व 2 :-</u>

9. विवाद्यक सं. 1 को प्रमाणित करने का भार वादीगण/प्रार्थीगण पर है। इस विवाद्यक में प्रार्थीगण को यह प्रमाणित करना है कि दिनांक 24/04/22 को सुबह 10 बजे करीब अज्जू उर्फ अर्जुन के राजमिस्त्री के कार्य करने के दौरान प्रतिवादीगण की उपेक्षा व लापरवाही से ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईन का तार टूटकर गिरने जिसके करंट की चपेट में अज्जू उर्फ अर्जुन के आ जाने से उसकी मृत्यु हो जाने पर वादीगण वाद पत्र में अंकित आधारों पर प्रतिवादीगण से 52 लाख रूपये मय ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं जबकि विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिस विवाद्यक के माध्यम से प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि मृतक अज्जू उर्फ अर्जुन की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण भवन निर्माण कार्य के दौरान उसके हाथ ऊपर करने पर 11 के.वी. का तार छू जाने के परिणामस्वरूप हुई है जिसमें विभाग की कोई लापरवाही नहीं है।

10. उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबद्ध होने के कारण उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

11. विवाद्यक सं. 1 के संबंध में वादी पक्ष की साक्ष्य का अवलोकन करें तो वादी पक्ष ने अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों में मृतक के राजमिस्त्री का कार्य करने के

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

दौरान ऊपर से बिजली का तार टूटकर गिर जाने के कारण उसकी चपेट में आने से मृतक अज्जू उर्फ अर्जुन की मृत्यु होना बताया है जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि मृतक स्वयं की लापरवाही से कार्य करते हुए विद्युत तार की चपेट में आया व निर्माणाधीन परिसर के ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे जिस पर बिना विद्युत सप्लाई बन्द करवाये निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसमें प्रतिवादी पक्ष की कोई लापरवाही नहीं है।

12. इसी क्रम में वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य के दौरान ए.डब्ल्यू. 1 कमलेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन दर्ज कराये हैं व मृतक की मृत्यु के संबंध में दर्ज करायी गयी मर्ग एफ आई आर प्र. 5, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र. 6, नक्शा मौका प्र. 7, दीगर मर्ग सूचना जो ग्वालियर के कम्पू थाने को दी गयी प्र. 8 व 9, पंचायतनामा प्र.10, फर्द जब्ती लाश प्र. 11, लाश प्राप्ति रसीद प्र. 12, ग्वालियर में दर्ज हुई मर्ग की डायरी प्र. 13 व 14, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र. 15 व थानाधिकारी थाना सदर, धौलपुर द्वारा प्रस्तुत मर्ग जांच रिपोर्ट दिनांक 22/03/23 प्र. 4 पेश किये हैं। जिरह में उक्त गवाह का कथन रहा है कि घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं थी।

13. वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान ए डब्ल्यू. 2 संजय जो कि मृतक का भाई है उसने भी ए डब्ल्यू. 1 कमलेश के कथनों के अनुरूप कथन करते हुए मृतक के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिरना बताते हुए उससे घायल होने पर मृतक की मृत्यु होन बताया है जिरह में ए डब्ल्यू. 2 संजय का कथन है कि हम दोनों भाई मसूदपुर में सरकारी विद्यालय में काम कर रहे थे स्कूल की दीवार का प्लास्टर कर रहे थे, बिजली के तार छत के ऊपर से निकल रहे थे तार सिर्फ दीवार पर क्रास कर रहे थे, हेडमास्टर ने कहा था कि लाइन कटी है। इस गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि काम करने से पहले काम करने से पहले हेडमास्टर से बिजली के तार निकल रहे थे, हेडमास्टर के कहे अनुसार विद्युत तारों में करंट नहीं है, बिना खौफ के काम कर रहे थे। अर्जुन प्लास्टर कर रहा था, तभी तार टूटकर अर्जुन के ऊपर गिरा तभी करंट लग गया। इसी प्रकार के कथन ए डब्ल्यू. 3 दिलीप की साक्ष्य में सामने आये हैं।

14. वादी पक्ष की ओर से प्र.4 थानाधिकारी, थाना सदर, धौलपुर द्वारा उपखण्डाधिकारी को प्रस्तुत पत्र दिनांक 22/03/23 भी प्रस्तुत किया है जिसमें थाना सदर, धौलपुर द्वारा की गयी जांच में दिनांक 24/04/22 को मृतक अज्जू की मौत सरकारी स्कूल में सामुदायिक शौचालय पर कार्य करने के दौरान अचानक बिजली का तार गिरने से होना बताया है व मामला आकस्मिक दुर्घटना का होना पाया गया है। इस

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 24/04/22 की है, व उसकी सूचना दिनांक 26/4/22 को ही थाने पर दी गयी है, उसके उपरांत लगभग एक वर्ष के अंतराल में थानाधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गयी है उसे इतने लम्बे समय बाद देने का क्या कारण रहा, इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु स्वयं थानाधिकारी/जांच अधिकारी साक्ष्य में पेश् नहीं हुआ है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि मौके पर बिजली का तार टूटकर गिरा हो।

15. इसके अतिरिक्त वादी पक्ष ने यह भी आधार लिया है कि विद्युत लाइन खराब थी व उसे बदलने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण का था, तो यह तथ्य भी वादी द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है कि मौके पर कोई विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो या उसकी मरम्मत कराने हेतु वादी पक्ष की ओर से या अन्य किसी के द्वारा बिजली विभाग को निवेदन किया गया हो इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2019 ACJ Page 1552, (Madras) Superintending Engineer,Tamilnadu Elec. Board V. T. Ranganathan** में बिजली बोर्ड को नीचे लटकती खतरनाक बिजली के तारों के कारण लापरवाही का दोषी माना है, जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि बिजली के तार नीचे लटक रहे हों या विद्युत विभाग द्वारा उनकी सुरक्षा के प्रति उपाय न किये गये हों। अन्य न्यायिक दृष्टांत में खेत के ऊपर बिजली के तार झूल रहे होने के कारण व तार ढीले होने के कारण बिजली विभाग की लापरवाही मानी है, जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से वादी पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती है।

16. वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य के दौरान यह भी सामने आया है कि मौके पर स्कूल पर निर्माण कार्य किया जाना व वहां पर हेड मास्टर के कहे अनुसार बिजली लाइन बंद होना मानते हुए मजदूर काम कर रहे थे।

17. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या स्कूल पर निर्माण कार्य कराने से पूर्व यदि वहां पर विद्युत के तार जा रहे थे तो क्या निर्माण कार्य करने से पूर्व विद्युत विभाग से किसी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त की गयी या विद्युत सप्लाई बन्द करने हेतु कोई प्रयास किये गये ?

18. इस संबंध में वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य में नक्शा मौका प्र. 7 का अवलोकन किया गया जिसमें एक्स स्थान पर स्कूल में लैट्रिंग बाथरूम का काम चलना जिसके दोनों तरफ बिजली का खम्भा लगा होना प्रकट हो रहा है व वहीं पर दुर्घटना होना बताया है। गवाहान ने अपनी साक्ष्य में हेड मास्टर के कहे अनुसार बिजली

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

सप्लाई बन्द होना मानते हुए कार्य चालू रखना बताया है किन्तु प्रकरण में स्कूल के किसी हेड मास्टर को साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो सका है कि वहां पर निर्माण कार्य करने से पूर्व कोई विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत विभाग से कोई अनुमति प्राप्त की गयी हो तो ऐसी कोई अनुमति साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुई है, न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिससे मौके पर बिना विद्युत विभाग की अनुमति के निर्माण कार्य किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार बिना विद्युत विभाग से अनुमति वहां पर निर्माण कार्य किये जाने में प्रतिवादी पक्ष की कोई लापरवाही नही मानी जा सकती है।

19. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें एन ए डब्ल्यू 3 पुनीत शर्मा है जो फीडर इंचार्ज है, ने घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत विद्युत सप्लाई बन्द कर मौके पर जाना व मृतक द्वारा तम्बाकू खाकर हाथ ऊपर करने के दौरान हादसा होना बताया है व मौके पर कोई विद्युत तार टूटा हुआ नहीं मिलना बताया है।

20. इसी प्रकार प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 अनुराग मित्तल, एन ए डब्ल्यू 2 अमित कुमार जो कि विभाग के ही कर्मचारी हैं ने अपनी साक्ष्य दी है व एन ए डब्ल्यू 2 अमित कुमार ने मौके पर जाकर जांच की है व अपनी जांच रिपोर्ट में भी यही पाया है कि मृतक के काम करते समय तम्बाकू खाने के दौरान हाथ ऊपर करने के कारण दुर्घटना होना बताया है।

21. इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारान की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, व जो दस्तावेजात् प्रदर्शित कराए गए हैं, उनसे मृतक की मृत्यु होना तो प्रमाणित होता है व मृत्यु विद्युत करंट से होना प्रमाणित होता है किन्तु मौके पर कोई विद्युत तार टूटना प्रमाणित नहीं हुआ है व प्रकरण में यह भी पाया गया है कि जिस भवन पर निर्माण् कार्य किया जा रहा था उसके ऊपर विद्युत के तार जा रहे थे किन्तु निर्माण कार्य करने से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी हो, यह तथ्य वादी पक्ष द्वारा स्कूल प्रबंधन में से किसी गवाह को पेश कर प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया गया है यदि निर्माण कार्य करने से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी होती तो निश्चित रूप से वहां बिजली की सप्लाई बन्द होती और जब कार्य करने से पूर्व बिजली विभाग से अनुमति ही प्राप्त नहीं की गयी, तो उसमें विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं मानी जा सकती है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी पक्ष के विरूद्ध एवं विवाद्यक सं. 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

<u>विवाद्यक संख्या 3 अनुतोषः-</u>

22. प्रकरण का मुख्य विवाद्यक संख्या 1 वादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया हैं अतः वादीगण/प्रार्थीगण का यह क्लेम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

-: आदेश :-

23. अतः वादीगण कमलेश वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 1-ए घातक दुर्घटना अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिव किया जावे।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

24. यह निर्णय आज दिनांक 12/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
13.03.2026 17:28
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"